National Lok Adalat held on 14th May, 2022 for (Pre-Litigation & Pending matters)

A National Lok Adalat for Pre-Litigation & Pending matters was organized today on **14th May, 2021** under the patronage of **Patron-in-Chief Hon'ble Mr. Justice Mohammad Rafiq**, **Chief Justice**, High Court of Himachal Pradesh and under the able and innovative guidance of **Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge,** High Court of Himachal Pradesh and **Executive Chairperson**, **Himachal Pradesh State Legal Services Authority** in all the Courts in the State of Himachal Pradesh.

Hon'ble Executive Chairperson during video conferencing held with the Judicial Officers laid emphasized on effective identification and disposal of cases before National Lok Adalat. All the Judicial Officers were also impressed upon to identify old cases, motor accident claim cases, matrimonial cases, insurance matters, labour court matters, criminal compoundable matters etc.

As per direction of Hon'ble Executive Chairperson, **a special drive was undertaken in the remote/tribal areas of districts of Chamba, Kinnaur and Lahaul & Spiti** for affording opportunity to the people of these areas for amicable settlement of disputes both at pre-litigation and post-litigation stage in the National Lok Adalat.

This time National Lok Adalat was not only organised but celebrated in the **spirit of an Utasav all over the state**. In this regard, a special drive was also undertaken for mass awareness about National Lok Adalat by associating local bodies, police, financial institutions, banks, NGOs, stakeholders, representatives of PRIs, PLVs, Asha/Anganwari workers, Public Transport Services etc. IEC material was distributed amongst general public containing contact numbers of all eleven DLSAs for the convenience of public, so that maximum number of cases are identified.

Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge, High Court of Himachal Pradesh and Executive Chairperson, H.P. State Legal Services Authority inaugurated the first National Lok Adalat at Keylong and personally supervised proceedings taking place before the Lok Adalat Benches of National Lok Adalat at Sub-Divisional Legal Services Committee, Manali and at Keylong, district Headquarters of Lahaul & Spiti, where National Lok Adalat held for the first time and interacted with stakeholders/litigants. 240 cases were taken-up for settlement at Keylong, district

Headquarters of Lahaul & Spiti during the National Lok Adalat.

The detail of Cases

	Pre-Litigation	Post-Litigation	Total
Cases Taken-up	12447	31311	43758
Cases Settled	2240	17192	19432
Disposal Rate	17.99%	54.90%	44.40%

Inauguration of First Natonal Lok Adalat at District Lahaul & Spiti, Headquarters Keylong by Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge, High Court of HP & Executive Chairperson, HPSLSA

Interaction by Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge, High Court of HP & Executive Chairperson, HPSLSA with Stakeholders and Litigants

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE SUNDAY EXPRESS, MAY 15, 2022

NATIONAL LOK ADALAT

19,205 cases disposed of in a day throughout state

EXPRESS NEWS SERVICE
SHIMLA, MAY 14

IN THE National Lok Adalat organized in the state on Saturday, about 19,205 of 43,780 cases taken up for hearing in different courts were settled or disposed off, and approximately a sum of Rs 53 lakh was recovered/awarded to the claimants.

Member Secretary of Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Prem Pal Ranta, disclosed the information. He said that Justice Sabina, Judge, High Court of Himachal Pradesh and Executive Chairperson of the state's legal services authority inaugurated Keylong's first National Lok Adalat and personally supervised proceedings taking place before the Lok Adalat Benches of National Lok Adalat at Sub-Divisional Legal Services Committee, Manali and at Keylong. Around 240 cases were taken up for settlement at Keylong during the National Lok Adala , he added.

He said that as per direction of Executive Chairperson, a special drive was undertaken in the remote/tribal areas of districts of Chamba, Kinnaur and Lahaul & Spiti to give people the opportunity to amicably settle disputes both at pre-litigation and post-litigation stage in the NLA.

आपका फैसला

Web:- www.aapkafaisla.co

3

शिमला, रविवार, 15 मई, 2022

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटान पर दिया गया जोर

शिमला,(आपका फैसला)। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्री.लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 14 मई 2022 को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के दूरस्थ, आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री.लिटिगेशन एवं पोस्ट.लिटिगेशन मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान का अवसर प्रदान किया गया। इस बार न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया बल्कि इसे पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों,हितधारकों, पीआरआईए पीएलवी, आशा,आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। आईईसी सामग्री जिसमे जन सुविधा के लिए सभी ग्यारह डीएलएसए के फोन नंबर भी अंकित किए गए थेए को आम जनता के बीच वितरित किया गयाए ताकि लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों की पहचान की जा सके। न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्षए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने केलांग में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया और उपमंडल विधिक सेवा समिति, मनाली और लाहौल-स्पीति जिला मुख्यालय केलांग जहां पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी किया एवं हितधारकों, प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में 240 मामलों का निपटारे के लिए चिन्हित किया गया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 43780 मामले उठाए गए, जिनमें से लगभग 19205 मामलों का निपटारा किया गया।

पंजाब केसरी
CHANDIGARH
2 SUNDAY
15.5.2022
हिमाचल

लंबित मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन

शिमला, 14 मई (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 14 मई को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रैंस सिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों व आपराधिक कंपाऊंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार चम्बा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन एवं पोस्ट-लिटिगेशन मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान का अवसर प्रदान किया गया। इस बार न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, बल्कि इसे पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पी.आर.आई., पी.एल.वी. आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया।

केलांग में 240 मामलों को निपटारे के लिए किया गया चिन्हित : हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष ने केलांग में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इसमें लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया एवं हितधारकों व प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में 240 मामलों का निपटारे के लिए चिन्हित किया गया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 4,780 मामले उठाए गए, जिनमें से लगभग 19205 मामलों का निपटारा निपटान किया गया।

शिमला, रविवार, 15 मई, 2022

दिव्य हिमाचल

epaper.divyahimachal.com

प्रदेश में सजी लोक अदालतों में निपटाए 19205 मामले

स्टाफ रिपोर्टर – शिमला

- 53.08 करोड़ की लोक अदालत में हुई रिकवरी

प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। इसमें लाए गए 43780 मामलों में से 19205 मामलों का मौके पर निवारण किया गया और 530844573 रुपए की रिकवरी करके मौके पर ही भुगतान किया गया। इस लोक अदालत में प्रदेश के दुर्गम जिलों चंबा, किन्नौर व लाहुल-स्पीति में विशेष फोकस रहा और यहां प्राथमिकता से समस्याओं का निवारण किया गया। यह राष्ट्रीय लोक अदालत प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक उच्च न्यायालय की न्यायधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी न्यायालयों में आयोजित हुई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमपाल रांटा ने बताया कि इस बार प्रदेश के दुर्गम जिलों खासकर लाहुल-स्पीति के मुख्यालय केलांग में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के दूरस्थ/आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया।

दैनिक जागरण चंडीगढ़, 15 मई, 2022

राष्ट्रीय लोक अदालत में किया 19,205 मामलों का निपटारा

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्री लिटिगेशन के लंबित मामलों के निपटारे के लिए शनिवार को प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत प्रदेश प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश सबीना की देखरेख में आयोजित की गई। इसमें निपटारे के लिए विभिन्न देशों के समक्ष 43780 मामले उठाए गए, जिनमें से करीब 19205 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। इस दौरान 53 करोड़ 8 लाख 44 हजार 573 रुपये की रिकवरी भी की गई। मुख्य न्यायाधीश की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार चंबा, किन्नौर व लाहुल स्पीति जिला के दूरदराज के क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से फ्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए स्थानीय निकायों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पुलिस व गैर सरकारी संस्थानों का भी सहयोग लिया गया। न्यायाधीश सबीना ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने केलांग में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। यहां पर चिन्हित 240 मामलों का सफल पूर्वक निपटारा किया गया।

इन मामलों की हुई सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत में पीठों के समक्ष पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक, बीमा, श्रम न्यायालय के मामले व आपराधिक कपाउंडेबल मामलों का निपटारा किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल राटा ने बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी।

दैनिक भास्कर

शिमला, रविवार 15 मई, 2022 | 03

हिम

राष्ट्रीय लोक अदालत में 43780 में से 19205 मामलों का किया गया निपटारा

भास्कर न्यूज | शिमला

प्री लिटिगेशन के लंबित मामलों के निपटारे के लिए शनिवार को प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई यह लोक अदालत प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश सबीना की देखरेख में आयोजित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न देशों के समक्ष 43780 मामले उठाए गए जिनमें से लगभग 19205 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। इस दौरान 53 करोड 8लाख 44 हजार 573 रुपए की रिकवरी भी की गई।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चंबा,किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला के दूरदराज के क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए स्थानीय निकायों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पुलिस, गैर सरकारी संस्थानों का भी सहयोग लिया गया।

अमर उजाला

चंडीगढ़ | रविवार, 15 मई 2022 7

लोक अदालतों में दिलाए 53.08 करोड़ रुपये

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में लोक अदालतें लगाई गईं। लोक अदालतों में 53.08 करोड़ रुपये दिलाए गए। लाहौल-स्पीति जिले के काजा में में कुल 240 मामलों को चिह्नित किया गया है। इन लोक अदालतों में कुल 43,780 मामले लाए गए। इनमें 19,205 मामलों का निपटारा किया गया। अगली लोक अदालत 13 अगस्त को होगी। इस दौरान मोटर वाहन और चालान के मामलों को सुलझाया जाएगा। ब्यूरो

दैनिक उत्तम हिन्दू

दिल्ली, रविवार, 15 मई, 2022 | 8

पूरे प्रदेश में लगी अदालत

प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों मे आज 14 मई को माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन मे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 43780 मामले उठाए गए, जिनमें से लगभग 19205मामलों का निपटारा/ निपटान किया गया और लगभग 53,08,44,573/ की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को शाम 5 बजे तक वसूल/पुरस्कार दिया गया।

आपका TV फैसला
Web:- www.aapkafaisla.co
शिमला, रविवार, 15 मई, 2022
9

राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया

केलांग। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ज़िला लाहौल-स्पीति के मुख्यालय केलांग में आज प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सवीना द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। न्यायमूर्ति श्रीमती सवीना के निर्देश के अनुसार ज़िला लाहौल -स्पिति में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति सवीना ने इस अवसर पर कुछ हितधारकों एवं पक्षकारों से बातचीत भी की तथा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता एवं मामलों के निपटारे सम्बन्धी जानकारी भी दी। प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा कहा कि लोक अदालत में लगभग 240 मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते से किया।

हिमाचल दस्तक TV
हिमाचल दस्तक
www. himachaldastak.com
हिमाचल
शिमला, रविवार 15 मई, 2022

विभिन्न पीठों के समक्ष लाए गए थे 43780 मामले, लगभग 53 करोड़ की राशि वसूली

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए 19205 मामले

विशेष संवाददाता ■ शिमला

शनिवार को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न पीठों के समक्ष 43780 मामले लाए गए, जिनमें से लगभग 19205 मामलों का निपटारा किया गया है। लगभग 53 करोड़ 8 लाख 44 हजार 573 रुपये की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों से वसूल की गई है।

अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को आयोजित की जाएगी। न्यायधीश सबीना जोकि स्टेट लीगल सर्विसेज की कार्यकारी अध्यक्ष हैं के निर्देशानुसार आने वाले समय में मोटर वाहन चालान तथा नेगोशी, बल इन्स्ट्रूमेंट्स मामलों के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।

आज की लोक अदालत प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के निपटारे के लिए थी। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के

■ अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को आयोजित होगी

समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान माननीय कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया।

उत्सव की भावना से मनाया गया कार्यक्रम

इस बार न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया बल्कि इसे पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पीआरआई, पीएलवी, आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। आईईसी सामग्री जिसमे जन सुविधा के लिए सभी ग्यारह डीएलएसए के फोन नंबर भी अंकित किए गए थे, को आम जनता के बीच वितरित किया गया ताकि लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों की पहचान की जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में 240 मामलों का निपटारे के लिए चिह्नित किया गया।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के दूरस्थ/आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन एवं पोस्ट-लिटिगेशन मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान का अवसर प्रदान किया गया।

दैनिक सवेरा टाइम्स

राष्ट्रीय लोक अदालत में 19205 मामलों का निपटारा

- दावेदारों को मिली 53 करोड़ 8 लाख से अधिक की रकम
- लोक अदालतों में सुनवाई को आए थे 43780 मामले
- केलंग में लोक अदालत में 240 मामलों का हुआ निपटारा
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया लोक अदालत का आयोजन

शिमला, 14 मई (ब्यूरो): प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस मोहम्मद रफीक व उच्च न्यायालय की न्यायाधीश एवं प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना के मार्ग दर्शन में शनिवार को प्रदेश के सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के समक्ष निपटारे के लिए 43780 मामलों में से 19205 का निपटारा किया गया। इस दौरान दावेदारों को 53 करोड़ 8 लाख 44 हजार 573 रुपए की राशि प्रदान की गई। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में आयोजित लोक अदालत में 240 मामलों का निपटारा किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सबीना ने राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉंफ्रेंसिंग की। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक, बीमा, श्रम न्यायालय, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में

लोक अदालत के दौरान हितधारकों के साथ संवाद करती राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सबीना।

एक विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रिय लोक अदालत के माध्यम से प्री एवं पोस्ट-लिटिगेशन मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान का अवसर प्रदान किया गया।

उन्होंने बताया कि समूचे राज्य में न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, बल्कि उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पीआरआई, पीएलवी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सबीना ने केलांग में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। उन्होंने उपमंडल विधिक सेवा समिति मनाली और लाहौल-स्पीति जिला मुख्यालय केलांग में होने वाली लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी किया एवं हितधारकों, प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को प्रदेश में अगली लोक अदालत का आयोजन होगा।

The Tribune
CHANDIGARH | MONDAY | 16 MAY 2022

19K cases settled at Lok Adalat

SHIMLA, MAY 15

A total of 43,780 cases were taken up at the National Lok Adalat before different benches in the state. As many as 19,205 cases were settled/disposed of yesterday.

Approximately Rs 53 crore were recovered/awarded to the claimants. Justice Sabina inaugurated the first National Lok Adalat at Keylong in Lahaul and Spiti. — TNS

पंजाब केसरी
MON, 16 MAY 2022
EDITION: SHIMLA KESARI, PAGE NO. 2

लोक अदालत में मौके पर निपटाए 825 मामले

किन्नौर जिला के न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ में हुआ आयोजन

रिकांगपिओ, 15 मई (रिपन): किन्नौर जिला के न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ में वरिष्ठ दीवानी जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी धीरू ठाकुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई।

लोक अदालत में धारा 138 के तहत एन.आई. अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक, कम्पाउन्डेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले प्रस्तुत किए गए।

इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कम्पाउन्डेबल आफैंस, धारा 138 के तहत एन.आई. अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) संबंधित लगभग 707 मामले शामिल थे तथा लोक अदालत में 315 मामलों का निपटारा किया गया।

गौरतलब है कि किन्नौर जिला में अब हुए लोक अदालतों में से सबसे ज्यादा मामले इस बार के लोक अदालत में सामने आए हैं, वहीं 35 वर्षों से चले आ रहे मुंगी देवी नामक बुजुर्ग महिला का एक मामले को भी इस लोक अदालत में निपटाया गया तथा जब तक सभी केसों का निपटारा नहीं किया गया तब तक सी.जे.एम. द्वारा लोक अदालत का समापन नहीं किया गया।

सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण किन्नौर निशांत वर्मा ने जारी प्रेस बयान में बताया कि 6 बेंचों में राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाए गए मामलों की कुल संख्या 1614 थी तथा मौके पर 825 मामलों को निपटाया गया तथा इस दौरान निपटान राशि 4 करोड़ 87 लाख 61 हजार 745 रुपए थी।

रिकांगपिओ : न्यायिक न्यायालय परिसर में लोक अदालत में वरिष्ठ दीवानी जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी मामलों को निपटाते हुए। (रिपन)

National Lok Adalats in Himachal Settle 19205 Cases, Award Rs 53.04 Crore as Compensation Claimants

Category: Breaking News Published: 14 May 2022 Hits: 77

Author: Kuldeep Chauhan, Editor, HimbuMail

Inauguration of First Natonal Lok Adalat at District Lahaul & Spiti at headquarter Keylong

SHIMLA: A record number of cases were taken up in the **Nationa Adala**t held on May 14 before dif benches for settlement across the Out of these, as many as 19205 were settled or disposed off an judges awarded over ₹53.08 Crc compensation to the claimants.

It was for the first time that ***Ms. Ji Sabina, judge High Court of Him Pradesh, who is also Exec Director, HP State Legal Se Authorities(HPLSA)***, inaugurat National Lok Adalat at Keylong i landlocked tribal Lahaul-Spiti district. As many as 240 cases were taken up for settlement there giving justice to the tribals at door-step on Saturday.

National Lok Adalat Gives Relief and Creates Goodwill among Litigants

Considering the response of the litigant public, National Lok Adalat today turned out to be an Utsav creating good-will among litigants as they come out in large number for settlement and got much-needed relief in pending cases.

National Lok Adalat was organized under patronage of Patron-in-Chief Hon'ble Mr. Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice, Court of Himachal Pradesh and under innovative guidance of Ms. Justice Sabina, in all the Courts in the state on May 14.

The massive response to the National Lok Adalat was possible as HPSAL left no stone unturned to reach out to the litigants and stakeholders through new and various modes of social and web media including traditional means of communication.

Massive Awareness Campaign

Executive Chairperson, HPSLSA hold video- conferencing with judicial officers, laid emphasis on effective identificatio disposal of cases before National Lok Adalat.

Executive Chairperson **impressed upon the judges to identify old cases, motor accident claim cases, matrimonial cases, insurance matters, labour court matters, criminal compoundable** matters, said Prem Pal Ranta, member-secretary, HPSLA, legal authority which facilitates organization of National Lok Adalat in the state.

As per direction of Executive Chairperson, HPSLA launched a special drive in the remote, tribal areas of districts of Chamba, Kinnaur and Lahaul-Spiti.

People in these areas got an opportunity for amicable settlement of disputes both at pre-litigation and post-litigation stage in the National Lok Adalat, Ranta said.

HPSLA also roped in local bodies, police, financial institutions, banks, NGOs, stakeholders, representatives of PRIs, PLVs, Asha/Anganwari workers, Public Transport Services to create awareness about National Lok Adalat that paid its dividends.

Not only this, publicity material including pamphlets were distributed amongst general public containing contact numbers eleven District Legal Service Authorities(DLSA). This made easy for locals to contact the DLSA that led to a good response National Lok Adalat.

Next National Lok Adalat on August 13, 2022

Next National Lok Adalat will be held on 13th August, 2022. As per directions of Executive Chairperson in coming times S **Lok Adalats will be held for Motor Vehicle Challans and Negotiable Instruments Act Cases in areas where pende** more.

People of Lahaul-Spiti Get Justice at Door-step in First National Lok Adalat at Keylong

Category: Breaking News Published: 14 May 2022 Hits: 205

Author: Kuldeep Chauhan, Editor, HimbuMail

- Lok Adalat
- Past Lok Adalat in Himachal
- High Court on vacant posts

Inauguration of First Natonal Lok Adalat at District Lahaul & Spiti at headquarter Keylong

SHIMLA/KEYLONG: Propelled by a of delivering justice at the door st tribals across the 13050 ft high Ro Pass, Ms. Justice Sabina, judge Court of Himachal Pradesh in a h first on Saturday inaugurated th National Lok Adalat at Keylong in belt of Lahaul-Spiti district of the st

Residents of landlocked Lahaul-Spi an "instant justice" at their door st as many as 240 cases which were up for the settlement at the Nation Adalat on May 14.

Ms. Justice Sabina, who is also *Executive Chairperson, HP State Legal Services Authority HPSLSA)* personally supervised proceedings taking place before the Benches of National Lok Adalat at Keylong and Manali.

National Lok Adalats are being held under patronage of Chief Justice of High Court Mohammad Rafiq and supervisi executive chairperson Ms Justice Sabina across the state on May 14.

Ms Justice Sabina was assisted by Prem Pal Ranta, member-secretary, HPSLSA, which created history by holding the first National Lok Adalat at Keylong in the landlocked Lahaul-Spiti.

Ms. **Justice Sabina** also interacted with local stakeholders and litigants.

Interaction by Hon'ble Mrs. Justice Sabina, Ex Chairperson with Stakeholders and Litigants

Instant justice delivered through the National Lok Adalat is all the more relishable and special for people of Lahaul-Spiti as there is no judicial court for over 35000 people, who live in the landlocked Tribal valley since time immemorial.

The main reason for this is that there is little crime taking place in tribal belt.

The Atal Rohtang Tunnel came in handy for holding of the National Lok Adalat there. It has cut traveling time bypassir Rohtang Pass and It takes just an hour to reach Keylong from Manali, said the residents.

"It is a historic moment for the people of snowbound Lahaul-Spiti across the Mighty Rohtang Pass", said Prem Lal Yuterpa, a resident of Sashin. "There is little crime here. But people get instant relief in cases related the excise and other disputes at their door steps", said Tashi Harpa, former President of Lahaul-Spiti hoteliers association.

They also got justice at their convenience and without spending much and traveling to Kullu or Shimla for over 350 said **Prem Katoch, ex-President of Save Lahauli-Spiti Society, an NGO working to protect interests of people of district**.

Legal justice system is an otherwise expensive and time-consuming, added Katoch. Such Lok Adalat should be organised from time when cases pile up, he added.

Ranta said National Lok Adalat was also held at Sub-Divisional Legal Services Committee, Manali, besides at Keylong, district Headquarters of Lahaul & Spiti. It was a great success as litigants get instant justice without delay and cost, he added.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला लाहौल-स्पीति के मुख्यालय केलांग में लोक अदालत के शुभारंभ पर प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सवीना चर्चा करते हुए। -संवाद

आपसी सुलह से निपटाए 240 मामले

संवाद न्यूज एजेंसी

केलांग में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

केलांग (लाहौल-स्पीति)। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में शनिवार को पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सवीना ने घाटी के हितधारकों एवं पक्षकारों से बातचीत की और प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता एवं मामलों के निपटारे संबंधी जानकारी दी।

प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा कहा कि लोक अदालत में लगभग 240 मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते से किया गया। इस दौरान मोटर दुर्घटना केस, बीमा संबंधी मामले, वैवाहिक मतभेद, दीवानी मामले, आपराधिक कंपाउंडिंग मामलों के साथ-साथ अन्य श्रेणी के मामलों को निपटाया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अमरदीप सिंह, पुलिस अधीक्षक लाहौल-स्पीति मानव वर्मा, सहायक आयुक्त रोहित शर्मा, अधिवक्ता बिशन सिंह और संदीप नलवा भी उपस्थित रहे।